सरकूलर नं0: अपमा / 2018–2020 / 07 दिनांक : 27–11–2018

''कनवर्जन शुल्क जमा करवाने के विषय में दिल्ली नगर निगम की उपायुक्त महोदया जी के साथ बैठक''

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि दिल्ली नगर निगम की उपायुक्त श्रीमती रूचिका कत्याल जी ने सोमवार दिनांक 26–11–2018 को चांदनी चौक स्थित टॉउन हॉल में शाम 4.30 बजे कनवर्जन शुल्क के विषय पर चर्चा हेतु एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में दिल्लो–6 की प्रमुख व्यापारिक संस्थाओं के लगभग 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अपमा की तरफ से सचिव श्री राकेश कुमार जी एवं जनसम्पर्क अधिकारी श्री राजेन्दर छाबड़ा जी ने भाग लिया।

हमारा क्षेत्र क्योंकि SPECIAL AREAS के अतंर्गत आता है अतः पिछले कुछ वषा से हम कनवर्जन शुल्क जमा कराने की परिधि से बाहर थे लेकिन बैठक के प्रारम्भ में ही दिल्ली नगर निगम की उपायुक्त महोदया जी ने दिनांक 15–3–2017 को हाई कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि SPECIAL AREAS में आने वाले सभी दुकानदारों को कनवर्जन शुल्क जमा करवाना अनिवार्य है जो दुकानें सन् 1962 से पूर्व की है और उनके पास कोई भी सरकारी प्रमाण है केवल वह ही कनवर्जन शुल्क जमा करवाने से मुक्त हैं।

उनकी इस बात का सभी व्यापारिक संगठनों ने पुरजोर विरोध किया और उनको कई ऐसे दस्तावेज पेश किये जिनसे SPECIAL AREAS में आने वाले दुकानदारों को राहत मिल सकती है। अन्ततः उपायुक्त महोदया को मजबूरन यह स्वीकार करना पड़ा कि वह व्यापारियों द्वारा दिये गये दस्तावेजों की कानूनी जांच करवाने के लिए कुछ समय चाहती हैं। अतः यह बैठक बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हुई और उन्होंनें बहुत जल्द ही इस विषय में अगली बैठक बुलाने का आश्वासन दिया।

साथियों, इस विषय में अभी इतना चिन्तित होने की आवश्यकता नही हैं। आपकी अपमा व्यापारिक हितों के लिए लगातार पुरजोर कोशिश करती रही है और भविष्य में भी अन्य व्यापारिक संस्थाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अथक प्रयास करती रहेगी।

सरकूलर नं0ः अपमा/2018–2020/08

''ट्रेड लाईसेंस बनवाने हेतु कैम्प का आयोजन''

आप सभी को सूचित किया जाता है कि ट्रेड लाईसेंस बनवाने हेतु अपमा के अथक प्रयास से पुनः व्यापारी भाईयों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 3, 4 व 5 दिसम्बर. 2018 (सोमवार, मंगलवार एवं बुद्धवार) को अपमा कार्यालय में तीन दिन के लिए कैम्प का आयोजन किया जाऐगा। अतः जिन व्यापारी भाईयों ने अभी तक अपना ट्रेड लाईसेंस नहीं बनवा है उनसे अनुरोध है कि कैम्प में आकर अपना ट्रेड लाईसेंस अवश्य बनवा लें।

दिल्ली नगर निगम द्वारा ट्रेड लाईसेंस बनवाने हतु अधिकृत **M/s. M.R. Associates** के कर्मचारी श्री अनिल कुमार (मोबाइल नं0 9911932174) कैम्प में मौजूद रहेंगें। अतः आपसे अनुरोध है कि टड लाईसेंस बनवाने हेतु अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपने साथ लेकर अवश्य आयें :–

01. आवेदन पत्र
02. आवदक की फोटो
03. दुकान/आफिस की फोटो (पोस्ट कार्ड साईज)
04. साईट प्लान
05. की प्लान
06. स्ट्रक्चर सेफटी सर्टिफिकेट
07. कानूनी अधिभोग का प्रमाण पत्र(एम.टी.एन.एल. बिल/पानी का बिल/बिजली का बिल कराये का प्रमाण/स्वामित्व दस्तावेज/कोई भी आबंटन पत्र
08. एफिडेविट 100/– व 10/–
09. पहचान पत्र और निवास प्रमाण आधार कार्ड
10. ड्रिमांड ड्राफ्ट (2)
    1. **Commissioner North DMC License Fees A/c (Rs.**
    2. **Commissioner North DMC License Processing Fee A/c (Rs. 914)**

सरकूलर नं0ः अपमा/2018–2020/09

M/s. Mithan Lal Agencies, 1282, Bara Bazar, Kashmere Gate, Delhi-110006 (Phone No: 65389876, 45694125, 64775389), desire to circulate as under:-

REQUIRES IMMEDIATELY.

01) One Accountant
02 One Staff Boy needed for Retail Counter

Interested candidates may contact at:

M/s. Mithan Lal Agencies,
1282, Bara Bazar, Kashmere Gate, Delhi-110006
CONTACT PERSON :- VAIBHAV VARDHAN GUPTA - **9582849521**

(विनय नारंग)
महासचिव